तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सुमित तातेड़ बनाम लो.सू.अ.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 135/2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.10.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सुमित तातेड़,पता 711, 1बी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.06.2017 में उसके द्वारा (1) रमेश पुत्र बाबुलाल के पक्ष में न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (अति. जिला कलक्टर)भूमि रूपान्तरण जोधपुर द्वारा दिनांक 28.11.89 का खसरा नं. 829/1/751 के एकाएक प्लॉट 1488 वर्गगज आदेश दि0 28.11.89 के द्वारा प्लॉट का आवासीय रूपान्तरण किया गया था जिसका पट्टा उसी न्यायालय द्वारा 8.01.90 को जारी हुआ तहसीलदार जोधपुर द्वारा रूपान्तरण आदेश 28.1.89 तथा जारी करने की दिनांक 8.01.90 के बाबत् राजस्व मण्डल अजमेर अपील की गई जिसका प्रार्थी को जहां तक जानकारी है राजस्व की अपील मंजूर हुई थी मगर तारीख की जानकारी नहीं कृपया अति. जिला कलक्टर भूमि रूपान्तरण के आदेश दि0 28.11.89 बाबत् ख.नं. 829/1/751 के राजस्व की अपील के निर्णय की तारीख से अवगत कराये व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1329 दिनांक 20.09.17 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना अति0 कलक्टर भूमि रूपान्तरण जोधपुर से संबंधित होने से उनसे सूचना चाही गई। अति. कलक्टर भूमि रूपान्तरण जोधपुर ने अपने पत्रांक 1714 दिनांक 19.06.17 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र तहसीलदार जोधपुर को प्रेषित कर सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। चूंकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना अति. कलक्टर (भूमि रूपान्तरण) न्यायालय जोधपुर से ख.नं. 829/1/751 में दिनांक 28.11.1989 तथा पट्टा दिनांक 08.01.1990 को जारी किया गया के विरूद्ध तहसीलदार जोधपुर द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में की गई अपील में हुए आदेश से संबंधित सूचना चाही गई जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा नहीं दिया जाना पाया गया। अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	